भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4854
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं हेतु विशेष कार्यक्रम

4854. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले छोटे और सुदूर पंचायत क्षेत्रों को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार आवंटित निधि का दक्षतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता निर्माण हेतु कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है; और
(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और अब तक उनसे लाभान्वित हुई पंचायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशेष की जरूरतों के लिए वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक पर होता है।

सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप किया जाएगा;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतों वाली दो स्तरीय प्रणाली है वहाँ आवंटन निम्नलिखित श्रेणी में होगा;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%

अधिकतम	85%	30%

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, विभिन्न-स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण को ऊपर बताए गए बैंड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए।राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

(ख) और (ग) पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें।

इस योजना के तहत मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों में सहायता प्रदान करता है, जैसे बुनियादी अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण, आदि। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा मंत्रालय एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास आदि के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 से, अब तक छत्तीसगढ़ के 3,71,743 प्रतिभागियों सहित कुल 1,14,61,210 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

***